अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, कम–1, जयपुर जिला,जयपुर

पीठासीन न्यायाधीश : सुरेश प्रकाश भट्ट, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

(1) विविध दाण्डिक जमानत आवेदन संख्या 12 / 2020

एनसीवी नम्बर 105 / 2020

पुरूषोत्तम शर्मा पुत्र स्व0 श्री हरिसिंह जाति ब्राहमण उम्र 43 निवासी नगला सेवा थाना बयाना जिला भरतपुर हाल मकान नम्बर 28 ए आनन्द विहार मुर्गी फार्म के पीछे आगरा रोड जयपुर थाना कानोता जिला जयपुर

—प्रार्थी / अभियुक्त

(2) विविध दाण्डिक जमानत आवेदन संख्या 13 / 2020

एनसीवी नम्बर 104 / 2020

रामजीलाल पुत्र श्री बिरदीचंद जाति जाट आयु 40 वर्ष, निवासी नेवटा थाना सेज जिला जयपुर

—प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य

प्रथम सूचना रिपोर्ट स. 124 / 2020 अपराध अन्तर्गत धारा 420,467,468,471 भारतीय दण्ड संहिता एवं 19 / 54 राज0 आबकारी अधिनियम

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 द.प्र.सं.

Live Law ALL ABOUT LAW .in

उपस्थित:
श्री भंवर सिंह शेखावत / श्री नरेन्द्र सिंह राजावत अधिवक्ता प्रार्थी / अभियुक्तगण
राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक श्री रामलाल भामू उपस्थित

आदेश **दिनांक 2.05.2020**

covid 19 के चलते हुये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार मुझ पीठासीन अधिकारी के समक्ष आज मुख्यालय पर स्थित सभी सैशन प्रकरणों में अर्जेन्ट प्रकरणों की सुनवाई हेतु श्रीमान जिला एवं सैशन न्यायाधीश द्वारा ड्यूटी लगायी गई है। अतः यह आदेश अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश कम–1, जयपुर जिला, जयपुर के रूप में माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश जयपुर जिला जयपुर के यहां प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

प्रार्थी / अभियुक्तगण पुरूषोततम व रामजीलाल की ओर से जमानत पर स्वतंत्र किये जाने हेतु दो अलग अलग जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 द.प्र.सं. के तहत जरिये ईमेल दिनांक 29.04.2020 न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश कम–2 जयपुर जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत हुये जहां पर दर्ज रजिस्टर किये गये।

अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, कम–1, जयपुर जिला,जयपुर

पीठासीन न्यायाधीश : सुरेश प्रकाश भट्ट, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

(1) विविध दाण्डिक जमानत आवेदन संख्या 12 / 2020

एनसीवी नम्बर 105 / 2020

पुरूषोत्तम शर्मा पुत्र स्व0 श्री हरिसिंह जाति ब्राहमण उम्र 43 निवासी नगला सेवा थाना बयाना जिला भरतपुर हाल मकान नम्बर 28 ए आनन्द विहार मुर्गी फार्म के पीछे आगरा रोड जयपुर थाना कानोता जिला जयपुर

—प्रार्थी / अभियुक्त

(2) विविध दाण्डिक जमानत आवेदन संख्या 13 / 2020

एनसीवी नम्बर 104 / 2020

रामजीलाल पुत्र श्री बिरदीचंद जाति जाट आयु 40 वर्ष, निवासी नेवटा थाना सेज जिला जयपुर

—प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 124 / 2020 अपराध अन्तर्गत धारा 420,467,468,471 भारतीय दण्ड संहिता एवं 19 / 54 राज0 आबकारी अधिनियम

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 द.प्र.सं.

Live Law.in

उपस्थित:

श्री भंवर सिंह शेखावत / श्री नरेन्द्र सिंह राजावत अधिवक्ता प्रार्थी / अभियुक्तगण
राज्य सरकार की ओर से लोक अभियोजक श्री रामलाल भामू उपस्थित

आदेश **दिनांक 2.05.2020**

covid 19 के चलते हुये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार मुझ पीठासीन अधिकारी के समक्ष आज मुख्यालय पर स्थित सभी सैशन प्रकरणों में अर्जेन्ट प्रकरणों की सुनवाई हेतु श्रीमान जिला एवं सैशन न्यायाधीश द्वारा ड्यूटी लगायी गई है। अतः यह आदेश अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश कम–1, जयपुर जिला, जयपुर के रूप में माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश जयपुर जिला जयपुर के यहां प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

प्रार्थी / अभियुक्तगण पुरूषोत्तम व रामजीलाल की ओर से जमानत पर स्वतंत्र किये जाने हेतु दो अलग अलग जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 द. प्र.सं. के तहत जरिये ईमेल दिनांक 29.04.2020 न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश कम–2 जयपुर जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत हुये जहां पर दर्ज रजिस्टर किये गये।

न्यायालय सेशन न्यायाधीश , कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्री राजेन्द्र बंशीवाल
RJS DJ Cadre लिंक अधिकारी

आ.वि. (ज.आ.) प्रकरण संख्या : 954/2020

1. नरोत्तम पुत्र पुष्पदयाल जाति मोग्या (बागरी) उम्र 22 साल, निवासी राजगढ़ थाना सांगोद, जिला कोटा (राज.)
2. पुष्पदयाल पुत्र गोपाल लाल जाति मोग्या (बागरी) उम्र 52 साल, निवासी राजगढ़, थाना सांगोद, जिला कोटा (राज.)

....प्रार्थी/अभियुक्तगण

ब ना म

राजस्थान राज्य जरिए लोक अभियोजक, कोटा ....अप्रार्थी,

प्रार्थनापत्र जमानत अंतर्गत धारा 439 दंड प्रक्रिया संहिता, एफआईआर संख्या 234/2019 पुलिस थाना सांगोद, जिला कोटा अपराध अंतर्गत धारा 308, 341, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित :–
श्री हनीफ मोहम्मद खान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त
लोक अभियोजक राज्य की ओर से

आदेश दिनांक– 07.05.2020

Live Law.in ALL ABOUT LAW

N0vel Corona Virus के प्रसार को रोकने के लिए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परिपत्रानुसार श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा द्वारा जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश स्तरीय न्यायालयों से सम्बन्धित आवश्यक प्रकृति के कार्य निस्तारित करने हेतु आज दिनांक 07.05.2020 को मुझ पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र बंशीवाल अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–4, कोटा को अधिकृत किया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का बहस में यह कथन रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण का उक्त प्रकरण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है । उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। इस मामले में क्रोस केस दर्ज हुआ है। वास्तव में प्रार्थी पक्ष के साथ ज्यादा मारपीट हुई है। प्रकरण में चालान पेश हो चुका है। मजरूब के कोई चोट गम्भीर प्रकृति की अथवा जीवन के लिए घातक नही है। अन्वीक्षा में समय लगेगा। प्रार्थी/अभियुक्तगण को जेल में कोरोना संक्रमण का भी डर है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ प्रदान किए जाने का निवेदन किया गया।

इसके विपरीत अतिरिक्त लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष को सुना, तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

इस मामले में प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 308, 341, 323/34 भारतीय दण्ड संहिता में आरोपपत्र पेश किया जा चुका है। इस प्रकरण में क्रोस केस दर्ज हुआ है। मजरूब के कोई भी चोट चिकित्सक ने गम्भीर अथवा जीवन के लिए घातक नहीं बताई है।

<u>न्यायालय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीड़न प्रकरण क्रम–1 ,कोटा</u>

पीठासीन अधिकारी – लोकेश कुमार शर्मा , आर. जे. एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत आवेदन (सीआईएस) संख्या – 980 / 2020

शराफत अली पुत्र बाबू खां, जाति मुसलमान निवासी तालाब पाड़ा, बड़ी मस्जिद के पास, थाना कोतवाली, जिला बांरा हाल मकान नंबर 4 / 257 स्वामी विवेकानन्द नगर, थारा आर के पुरम, कोटा राजस्थान ...प्रार्थी–अभियुक्त

<u>बनाम</u>

राजस्थान राज्य

जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता बसिलसिले प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 599 / 2019 पुलिस थाना आर के पुरम, कोटा शहर अपराध अन्तर्गत धारा– 302, 147, 148, 149, 120 बी भा0दं0सं0 व धारा– 3 / 25 आर्म्स एक्ट

<u>उपस्थित:–</u>

1. श्री अमित खारोलीवाल अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जरिये मोबाईल
2. विशिष्ट लोक अभियोजक राज. राज्य की ओर से

<u>आदेश</u> **दिनांक 06.05.2020**

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जमानत का यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–439 दं0प्र0सं0 माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटा के न्यायालय में पेश किया गया। जो वास्ते विचारण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, कोटा के कार्यालय आदेश क्रमांक प.जि.न्याय / स्था. / 2020 / 6901–6978 दिनांक 03.05.2020 की पालना मे हमारे समक्ष पेश हुआ। जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस जरिये मोबाइल सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि पुलिस थाना आर के पुरम कोटा शहर में दिनांक 22.12.2019 को ड्यूटी आफिसर थाना अधिकारी कोटा शहर को समय 6.14पीएम पर श्रीनाथपुरम स्टेडियम के गार्ड लीलाधर द्वारा जरिये मोबाइल सूचना मिली कि श्रीनाथपुरम गेट के सामने एक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या कर दी है। गोली मारने वाले व्यक्ति स्कॉर्पियो सफेद रंग की कार जिसके रजि0नं0 आर जे 33–यूए–0478 है, मे बैठकर भाग गये। उक्त सूचना पर थाना अधिकारी थाना आर के पुरम कोटा शहर ने मौके पर पहुंच कर कार्यवाही की और मृतक व्यक्ति के बारे मे मालूम किया तो रणवीर सिंह पुत्र हीरालाल होना ज्ञात हुआ। दिनांक 23.12.2019 को मृतक की पत्नी सुधा चौधरी द्वारा मय अपने नन्दोई महेन्द्र सिंह चौधरी, देवर महेश चौधरी के उपस्थित थाना होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह, उसकी पुत्री फागुल्नी चौधरी, पति रणवीर सिंह चौधरी के साथ फार्चुनर गाड़ी से श्रीनाथपुरम स्टेडियम घुमने गये थे। वहां हम घुम रहे थे तो हमारी मुलाकात स्टेडियम के अन्दर परमवीर चौधरी , जो कि उसके पति के मित्र है, से हुई और वह भी हमारे साथ घुमने लग गये। जब हम घुमकर श्रीनाथपुरम स्टेडियम के मेन गेट पर आये तो परमवीर चौधरी, वह और उसकी पुत्री

Live Law.in ALL ABOUT LAW